In the Court of Ankita Raj, SDJM,
Mohania, Kaimur
Date of judgment :-10.07.2026
Complaint Case no. 121/2010
Reg No. 260/2022

फॉर्म–ए

न्यायालयः अनुमंडलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, मोहनिया, कैमूर

उपस्थितः अंकिता राज,
अनुमंडलीय न्यायिक दण्डाधिकारी,
मोहनिया, कैमूर

[निर्णय तिथिः–10.07.2026]

[निबंधन संख्या –260/2022 परिवाद संख्या–121/2010]

परिवादी	नरसिंह नोनिया, पिता स्व0 मुसन नोनिया, साकिन कोनहरा थाना कुढ़नी, जिला कैमूर।
प्रतिनिधित्व द्वारा	विद्वान अधिवक्ता, राम जनम प्रसाद
अभियुक्त	1. चतुर्भूज चौबे (मृत), पिता–स्व0 चन्द्रशेख चौबे 2. आनंद शंकर चौबे, पिता–स्व0 चन्द्रशेख चौबे साकिन– सुरहा, थाना– दिलदार नगर, जिला–गाजीपुर, उ0प्र0।
प्रतिनिधित्व	विद्वान अधिवक्ताः लक्ष्मी कांत राय।

फॉर्म– बी

घटना तिथि	**16.06.2009**
परिवाद की तिथि	**25.08.2009**
आदेश की तिथि	**10.08.2011**
आरोप गठन/अभियोग का सरांश	**06.09.2017**
साक्ष्य प्रारंभ की तिथि	**26.07.2012**
निर्णय सुरक्षित करने की तिथि	**10.07.2026**
निर्णय की तिथि	**10.07.2026**
दण्डादेश की तिथि, यदि कोई	NA

अभियुक्त की विवरणी

अभियुक्त का कमांक	**अभियुक्त का नाम**	**गिरफ्तारी की तिथि**	**जमानत पर मुक्त होने की तिथि**	**आरोपित धाराएं**	**दोषसिद्ध अथवा दोषमुक्त**	**आरोपित दंड**	**दंड प्रकिया संहिता की धारा–428 के उद्देश्य हेतु विचारण के**

							दौरान कारा में बिताई गई अवधि
1. 2.	चतुर्भूज चौबे (मृत) आनंद शंकर चौब	–	21.02.2012 14.02.2012	406, 420/34 भा0दं0वि0	दोषमुक्त दोषमुक्त	–	–

<u>फॉर्म– सी</u>

अभियोजन बचाव पक्ष न्यायालय साक्षियों की सूची
ए अभियोजन

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति ; प्रत्यक्षदर्शी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी एवं अन्य)
परिवादी साक्षी संख्या–1	श्रीराम चौहान	अन्य
परिवादी साक्षी संख्या–2	राम चन्द्र चौहान	अन्य
परिवादी साक्षी संख्या–3	श्रीकिशुन बिंद	अन्य
परिवादी साक्षी संख्या–4	राजकुमार चौहान	अन्य
परिवादी साक्षी संख्या–5	नरसिंह नोनिया	परिवादी

बी प्रतिरक्षा साक्षी यदि अन्य कोई नहीं

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति ;प्रत्याक्षदर्शी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी एवं अन्य)

सी न्यायालय साक्षीए यदि अन्य कोई नहीं

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति ;प्रत्याक्षदर्शी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी एवं अन्य)
न्यायालय साक्षी संख्या–		.

अभियोजन पक्ष, बचाव पक्ष न्यायालय प्रदर्श की सूची
ए अभियोजन

कम सं0	प्रदर्श सं0	विवरणी

1		

बी प्रतिरक्षा कोई नहीं

कम सं0	प्रदर्श सं0	विवरणी

सी न्यायालय प्रदर्शःकोई नहीं

कम सं0	प्रदर्श सं0	विवरणी
1	प्रदर्श सं0	–

डी वस्तु सामग्री कोई नहीं

कम सं0	प्रदर्श सं0	विवरणी
1	प्रदर्श सं0	–

निर्णय

1. प्रस्तुत वाद में विचारण का सामना कर रहे उपरोक्त नामांकित अभियुक्तगण 1. चतुर्भूज चौबे (मृत) एवं 2. आनंद शंकर चौबे के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा **406, 420/34** दण्डनीय अपराध के लिए अभियोग का सारांश हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया जिससे उन्होंने इंकार किया तथा विचारण का दावा किया।

2. परिवादी का पक्ष संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 16.06.2009 की है। चतुर्भुज चौबे और आनंद शंकर चौबे दोनों का लगभग 25 बीघा जमीन एवं छावनी है। उस छावनी के बिक जाने के बाद अभियुक्तगण अपने जमीन की देखभाल करने एवं उसके बंदोबस्ती कर जमीन से हुए आमदनी उनके पास पहुंचाना आदि कार्य के लिये परिवादी को मैनेजर के रूप में चालीस वर्ष रखा। उसके बदले मौजा नहरा के खाता संख्या 22 प्लॉट संख्या 135 रकबा 5 एकड़ जमीन में से परिवादी को एक एकड़ जमीन बसने के लिये दिये। तथा बोले कि इस पर घर बना कर रहो बाद में

रजिस्टरी कर देंगे। परविादी उनके द्वारा दिये गये उपरोक्त जमीन पर 15 वर्षों से अपना घर बना कर रह रहा था। उक्त जमीन को बिक्री करने के लिये चतुर्भूज चौबे तथा आनंद चौबे परिवादी से तीन लाख पचास हजार रूपये समय समय पर लिया लेकिन जमीन रजिस्टरी नहीं किये। बराबर आश्वासन देते रहे कि हम मालिक है हम आपको जमीन लिख देंगे लेकिन जमीन नहीं लिखे और परिवादी को जमीन से हटा दिया।

3. परिवादी के बयान के आधार पर न्यायालय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, भभुआ, कैमूर, परिवाद संख्या 121/2010 दिनांक 25.08.2009 द्वारा पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 10.08.2011 को भा0द0वि0 की धारा **406, 420/34** में संज्ञान लिया गया। अभियुक्त की उपस्थिति पूर्ण होने पर दिनांक 06.09.2017 को अभियोग का सरांश हिन्दी में पढ़कर सुनाया गया। इस वाद के अभियुक्तों का बयान दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–313 के अंतर्गत दिनांक 22.06.2019 को अंकित किया गया।

4. धारा–313 द0प्र0सं0 के अंतर्गत अपने बयान में अभियुक्तगण 1. चतुर्भूज चौबे (मृत) एवं 2. आनंद शंकर चौबे ने स्वय को निर्दोष बताया तथा इस वाद में झूठा फंसाया बताया है।

5. अब मेरे समक्ष निर्णय का बिन्दु यह है कि क्या परिवादी, इस परिवाद में विचारण का सामना कर रहे अभियुक्तगण 1. चतुर्भूज चौबे (मृत) एवं 2. आनंद शंकर चौबे के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे सिद्ध करने में सफल रहा है?

विनिश्चयन

6. विचारण के क्रम में इस परिवाद पत्र के परिवादी की ओर से कुल पांच साक्षियों का पूर्ण परिक्षण कराया गया है जिसमें परिवादी साक्षी संख्या–

1. श्रीराम चौहान

2. रामचंद्र चौहान

3. श्रीकिशुन बिंद

4. राजकुमार चौहान

5. नरसिंह नोनिया (परिवादी)

परिवादी की ओर से अन्य कोई मौखिक या प्रलेखी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

बचाव पक्ष की ओर से भी कोई मौखिक एवं प्रलेखी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

<u>विवेचन</u>

7. अब मैं इस परिवाद पत्र में परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये समस्त साक्ष्यों का विवेचन इस परिवाद पत्र में विचारण का सामना कर रहे अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों के आलोक में करूंगी।

8. अब निर्णय में विवेचन कि सुविधा की दृष्टि कोण से परिवाद पत्र के परिवादी साक्षी संख्या 5 नरसिंह नोनिया के साक्ष्य का विवेचन एवं परिशिलन करना आवश्यक समझती हूं।

साक्षी संख्या 5 अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन करते है कि घटना दिनांक 16.06.2009 की है। चतुर्भुज चौबे और आनंद शंकर चौबे दोनों का लगभग 25 बीघा जमीन एवं छावनी है। उस छावनी के बिक जाने के बाद अभियुक्तगण अपने जमीन की देखभाल करने एवं उसके बंदोबस्ती कर जमीन से हुए आमदनी उनके पास पहुंचाना आदि कार्य के लिये परिवादी को मैनेजर के रूप में चालीस वर्ष रखा। उसके बदले मौजा नहरा के खाता संख्या 22 प्लॉट संख्या 135 रकबा 5 एकड़ जमीन में से परिवादी को एक एकड़ जमीन बसने के लिये दिये। तथा बोले कि इस पर घर बना कर रहो बाद में रजिस्टरी कर

देंगे। परवादी उनके द्वारा दिये गये उपरोक्त जमीन पर 15 वर्षों से अपना घर बना कर रह रहा था। उक्त जमीन को बिक्री करने के लिये चतुर्भूज चौबे तथा आनंद चौबे परिवादी से तीन लाख रूपये समय समय पर लिया लेकिन जमीन रजिस्टरी नहीं किये। बराबर आश्वासन देते रहे कि हम मालिक है हम आपको जमीन लिख देंगे लेकिन जमीन नहीं लिखे और परिवादी को जमीन से हटा दिया।

प्रतिपरीक्षण के कंडिका संख्या 10,11, में परिवादी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि पैसा लेन देन का कोई कागज नहीं है। परिवादी ने उक्त संबंध में नंबरी मुकमदा किया है जो स्वत्व वाद संख्या 330/2009 है। परिवादी ने यह स्वीकार किया है कि चतुर्भूज चौबे ने भी थाना में परिवादी के उपर केस किया है। परिवादी ने विपक्ष के सलाह को इंकार करते हुए यह कहते है कि ऐसी बात नहीं है कि उक्त जमीन पर खरीदार का कब्जा है और गलत तरीके से मुकदमा करके झुठा बयान दे रहे है।

अब मैं इस बाद में साक्षी संख्या–1 श्रीराम चौहान के साक्ष्य का विवेचन एवं परिशिलन करना आवश्यक समझती हूं

साक्षी अपने अपने मुख्य परीक्षण में परिवादी के साक्ष्य का पूर्ण रूप से समर्थन किया है।

साक्षी अपने आरोप पूर्व प्रतिपरीक्षण के कंडिका–2 में यह स्वीकार किया है कि जिस जमीन के लिये पैसा दिया गया था उसका खाता खेसरा साक्षी को याद नहीं है विवादित भूमि के संबंध में नंबरी मुकदमा सब–जज 12 के यहां लंबित है। साक्षी यह भी स्वीकार करता है कि पैसे लेन देन का कोई भी कागज नहीं है तथा दिनांक 16.06.2009 को रूपये का लेन देन हेतु साक्षी को कोई जानकारी नहीं है। साक्षी परिवादी के घर का हित है।

आरोप पश्चात साक्ष्य में साक्षी यह स्वीकार करता है कि परिवादी साक्षी के रिश्तेदार है। साक्षी ने विपक्ष के सलाह को इंकार करते हुए यह कथन करते है कि ऐसी बात नहीं है कि उक्त जमीन पर सिल्लू सिंह का कब्जा है और केवाला का संपूर्ण जमीन सिल्लू सिंह का है और परिवादी के रिश्तेदार होने के नाते आज झुठी गवाही दे रहा हूं। साक्षी यह स्वीकार करता है कि चतुर्भूज चौबे की मृत्यु हो गई है।

अब मैं इस बाद में साक्षी संख्या–1 रामचंद्र चौहान के साक्ष्य का विवेचन एवं परिशिलन करना आवश्यक समझती हूं।

साक्षी रामचंद्र चौहान ने भी अपने मुख्य परीक्षण में परिवादी के साक्ष्य का पूर्ण रूप से समर्थन किया है।

साक्षी अपने आरोप पूर्व प्रतिपरीक्षण के कंडिका संख्या 2,3,4 में यह कथन करते है कि विवादित जमीन का नंबरी मुकदमा नरसिंह एवं चतुर्भूज के बीच चल रहा है। पैसा लेन देन का कोई कागजी सबूत नहीं है। साक्षी यह स्वीकार करता है कि दिनांक 16.06.2009 को जो पैसे का लेन देन हुआ था उसकी जानकारी साक्षी को नहीं है।

आरोप पश्चात साक्ष्य में साक्षी यह स्वीकार करता है कि चतुर्भूज चौबे का देहांत हो गया है। पैसा का लेन देन जमीन लिखने की बात पर चतुर्भूज से हुआ था जमीन नहीं लिखे तो नरसिंह ने केस किया। परिवादी केस के द्वारा जमीन की रजिस्टरी कराना चाहते है। आरोप पश्चात साक्ष्य में साक्षी यह पुनः कथन करता है कि पैसा का लेन देन उसके सामने हुआ था और उसे नरसिंह नोनिया गवाही के लिये लाये है। साक्षी ने विपक्ष के सलाह को इंकार करते हुए यह कथन करते है कि ऐसी बात नहीं है कि नरसिंह नोनिया के मेल में आकर आज मैं झूठी गवाही दे रहा हूं।

अब मैं साक्षी संख्या–3 श्रीकिशुन बिंद के साक्ष्य का विवेचन एवं

परिशिलन करना आवश्यक समझती हूं।

श्रीकिशुन बिंद ने भी अपने मुख्य परीक्षण में परिवादी के साक्ष्य का पूर्ण रूप से समर्थन किया है।

साक्षी अपने आरोप पूर्व प्रतिपरीक्षण के कंडिका संख्या 2 और 3 में यह स्वीकार करते है कि दोनों पक्षों में नंबरी मुकदमा चल रहा है तथा पैसे लेन देन का कोई कागज नहीं बना था।

साक्षी अपने आरोप पश्चात साक्ष्य की कंडिका संख्या 4,5,6 और 7 में यह कथन करते है कि दिनांक 16.09.2006 के पैसे का लेन देन मेरे सामने हुआ था। ऐसी बात नहीं है कि आज से 40 साल पहले पैसे का लेन देन हुआ था लेकिन पैसा मैंने नहीं गिना था। साक्षी यह स्वीकार करता है कि साक्षी के अलावा वहां बहुत से लोग थे चतुर्भूज चौबे और बाबूनंद सिंह थे। साक्षी यह स्वीकार करते है कि चतुर्भूज चौबे मर चुके है नरसिंह नोनिया मैनेजर नहीं थे। साक्षी यह स्वीकार करता है कि पैसे के लेन देन का कागज है लेकिन उस पर साक्षी का हस्ताक्षर या निशान नहीं है। सादा कागज पर बना था स्टाम्प पर नहीं। साक्षी यह स्वीकार करता है कि साक्षी के सामने चतुर्भूज ने लिखा था कि पैसा पाया। साक्षी ने विपक्ष के सलाह को इंकार करते हुए यह कथन करते है कि ऐसी बात नहीं है कि लेन देन का कोई कागज नहीं बना था और मैं झुठ बोल रहा हूं और नरसिंह नोनिया का दोस्त होने के नाते आज झूठी गवाही दे रहा हूं।

अब मैं साक्षी संख्या–4 राजकुमार चौहान के साक्ष्य का विवेचन एवं परिशिलन करना आवश्यक समझती हूं। राजकुमार चौहान इस वाद के परिवादी का पुत्र है तथा परिवादी के पुत्र होने के नाते इस साक्षी ने भी अपने मुख्य परीक्षण में परिवादी के साक्ष्य का पूर्ण रूप से समर्थन किया है।

साक्षी के आरोप पूर्व प्रतिपरीक्षण के कंडिका संख्या 2 में साक्षी यह

स्वीकार करता है कि विवादित जमीन का स्वत्व वाद लंबित है जो कि साक्षी के पिताजी ने कराया है। साक्षी यह स्वीकार करता है कि पैसा लेन देन का कोई कागज नहीं बना है और विवादित जमीन सिल्लू सिंह को अभियुक्तगण ने बेच दिया है। साक्षी यह स्वीकार करता है कि सिल्लू सिंह घर खाली करने के लिये हम लोगों पर नंबरी मुकदमा किये है विवादित भूमि से संबंधित साक्षी के पास कोई रजिस्टरी का कागज नहीं है।

साक्षी अपने आरोप पश्चात साक्ष्य के कंडिका संख्या 3,4,5,6,7 और 8 में साक्षी यह स्वीकार करता है कि नरसिंह नोनिया, चतुर्भूज चौबे के मैनेजर थे लेकिन इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। पैसा का लेन देन साक्षी के सामने हुआ था साक्षी ने स्वंय पचास हजार रूपये दिये थे जिसका कागजी प्रमाण है। पैसे का लेन देन सादा कागज पर हुआ था जिस पर नरसिंह नोनिया और मालिक चतुर्भूज चौबे का हस्ताक्षर है जिसे परिवादी ने न्यायालय में दाखिल किया है। साक्षी यह स्वीकार करता है कि उसके पिताजी ने न्यायालय में क्या गवाही दिये है उसे नहीं पता। साक्षी के पिताजी ने स्वत्व वाद संख्या 330/2009 विवादित जमीन हेतु केस किया है। इस विवादित जमीन का खतियानी चतुर्भूज चौबे और आनंद शंकर चौबे के नाम से है। खतियानी को न्यायालय में दाखिल नहीं किये है। साक्षी यह भी स्वीकार करता है कि पैसा लेन देन समय श्रीकिशुन बिंद, श्रीराम नोनिया, रामचंद्र नोनिया मौजुद थे। पैसे लेन देन के कागज पर इनलोगों का हस्ताक्षर है या नहीं यह साक्षी को नहीं पता है। साक्षी यह भी स्वीकार करता है कि विवादित जमीन का रजिस्टरी चतुर्भूज चौबे ने सिल्लू प्रसाद को किया है तथा विवादित जमीन सिल्लू प्रसाद के दखल कब्जा में है। साक्षी स्वीकार करता है कि सन् 1990–1991 में पैसे का लेन देन हुआ था। साक्षी ने विपक्ष के सलाह को इंकार करते हुए यह कहते है कि ऐसी बात नहीं है कि जमीन बेचने के लिये पैसा का लेन देन

परिवादी ने किया था और जमीन बेचने संबंधित कोई बातचीत नहीं हुआ था तथा अभियुक्तों के जमीन हड़पने के नियत से गलत केस किया और अपने पिता के मेल में आकर झुठी गवाही दिया हूं।

9. परिवादी की ओर से स्वंय के अलावा कुल चार साक्षियों का मुख्य परिक्षण एवं प्रतिपरीक्षण कराया गया है।

10. इस वाद में निर्णय के लिये निम्नलिखित बिंदु विचारणीय है–

(क.) क्या परिवादी यह सिद्ध कर सका है कि क्या अभियुक्त ने परिवादी से 40 वर्ष पूर्व 3.5 लाख रूपये भूमि की रजिस्टरी कराने के लिये प्राप्त किये थे?

– परिवादी का मुख्य कथन है कि लगभग 40 वर्ष पूर्व उसने अभियुक्त चतुर्भूज चौबे को 3.5 लाख रूपये भूमि खरीदने एंव रजिस्टरी कराने के लिये दिये थे किंतु अभियुक्त ने भूमि की रजिस्टरी नहीं कराई।

यह उल्लेखनीय है कि जिस व्यक्ति को रूपये दिये जाने का आरोप लगाया गया है अर्थात् मुख्य अभियुक्त चतुर्भूज चौबे, उसकी मृत्यु हो चुकी है तथा उसकी मृत्यु के उपरांत साक्ष्य का परीक्षण कराया गया। साक्ष्य का परीक्षण हुआ है। फलतः परिवादी के इस कथन का प्रतिवाद करने का अवसर मुख्य अभियुक्त चतुर्भूज चौबे को प्राप्त नहीं हो सका। परिवादी द्वारा रूपये दिये जाने के संबंध में कोई रसीद लिखित अनुबंध अथवा अन्य कोई स्वतंत्र दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

यद्यपि दो गवाहों ने जिसमें से एक परिवादी का पुत्र एवं एक परिवादी का रिश्तेदार है और दोनों ही हितबद्ध साक्षी है तथा अपने बयान में कथन करते है कि रूपये का लेन देन का कागज तैयार हुआ था किंतु वह कथित दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार यदि कोई दस्तावेज अस्तित्व होने का दावा किया जाता है, तो उसके सर्वोत्तम साक्ष्य का न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक

है। ऐसे दस्तावेज को प्रस्तुत किये बिना केवल मौखिक कथन के आधार पर उसके अस्तित्व एवं उसके विषय वस्तु को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

(ख.) क्या परिवादी यह सिद्ध कर सका है कि अभियुक्त द्वारा धारा 406 भा0द0वि0 के अंतर्गत आपराधिक न्यास भंग (Criminal Breach of trust) अथवा गबन का आपराध कारित किया गया था?

– परिवादी के परिवाद पत्र एवं उनके द्वारा लाया गया साक्ष्यों के मुताबिक परिवादी का वाद पूर्ण रूप से प्रतिफल पर आधारित मामला है। परिवादी के परिवाद के अनुसाद अभियुक्त को अपने प्रतिफल के रूप से कथित रूप से 3.5 लाख रूपया मिल चुका है, और उस 3.5 लाख रूपये के एवज में जो प्रतिफल परिवादी को मिलना था जमीन बिक्री में सेल डीड के रूप में परिवादी को नहीं मिला है। यदि एक दूसरे पर प्रतिफल आधारित मामला हो तो यह संविदा का मामला हो जाता है। एक व्यक्ति को पैसा मिलता है और एक व्यक्ति को जमीन मिलती है। इससे संविदा पूण हुइ, लेकिन कहा गया कि संविदा पूर्ण नहीं हुई क्योंकि उन्होंने पैसा ले लिया और जमीन कथित रूप से नहीं लिखा। तो यह संविदा पर आधारित मामला है, जिससे दोनों को प्रतिफल प्राप्त करना था ऐसी स्थिति में यह अपराधिक न्यासभंग का मामला परिवादी के परिवाद पत्र एवं साक्ष्य के अनुसार कतई नहीं बन रह है। अतः धारा 406 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दण्डणीय अपराध को सिद्ध करने के लिए जो मूल तथ्य होते है वह नहीं है।

केवल तर्क की दृष्टि से अगर परिवादी के कथन को सत्य माना जाय तो परिवादी स्वयं कहता है कि अभियुक्त ने शुरू में स्वंय परिवादी को देख भाल करने हेतु जमीन दिया था, अभियुक्त ने जमीन बेचने का ऑफर स्वंय नहीं दिया था। अभियुक्त द्वारा जमीन देखभाल करने हेतु दिया गया था परन्तु

परिवादी ने उस जमीन पर घर भी बना कर रहने लगे। अगर परिवादी की ही बात को तर्क की दृष्टि से सही माना जाय तो इनको अभियुक्त ने स्वयं जमीन दिया था और बाद में यह हुआ कि परिवादी ने उस जमीन को खरिदने के लिए 40 वर्ष पूर्व थोड़ा–थोड़ा कर के 3,50,000/– रूपया अभियुक्त को दे दिया और अभियुक्त ने जमीन नहीं लिखा।

अब प्रश्न उठता है कि क्या प्रलोभन के द्वारा अभियुक्त ने परिवादी से 3.5 लाख रूपया प्राप्त कर लिया और इस प्रकार छल किया?

केवल मौखिक कथनों के अतिरिक्त रूपये देने का अन्य कोई साक्ष्य नहीं है। इसलिए परिवादी का यह साक्ष्य न ही सुसंगत है एवं न ही ग्रहण करने योग्य है।

(ग.) क्या परिवादी यह सिद्ध कर सका है कि अभियुक्त ने प्रारंभ से कपटपूर्ण आशय रखते हुए परिवादी से धन प्राप्त किया और भूमि की रजिस्टरी नहीं कर धोखा दिया?

– धारा 420 भा.द.वि. के अपराध के लिये यह आवश्यक है कि धन अथवा संपत्ति प्राप्त करते समय ही अभियुक्त के मंसा कपट पूर्ण एवं बेईमानी पूर्ण हो।

वर्तमान मामले परिवादी ने में ऐसा कोई प्रत्यक्ष एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका जिससे यह निष्कर्श निकाला जा सके कि रूपये प्राप्त करने के समय अभियुक्त की मंसा प्रारंभ से ही धोखा देने की है।

परिवादी के साक्ष्य से यह भी स्पष्ट होता है कि परिवादी स्वंय अभियुक्त के यहां मैनेजर के रूप में कार्य करता था तथा अभियुक्त ने उसे अपनी पांच एकड़ भूमि में से एक एकड़ जमीन बसने के लिये एवं अन्य भूमि की देख रेख करने हेतु दिये थे। परिवादी उसी भूमि पर मकान बना कर निवाश भी करने लगा। मात्र यह तथ्य कि भूमि रजिस्टरी नहीं हुई इस आधार

पर धारा 420 भा0द0वि0 का आपराध सिद्ध नहीं करता है। यदि कोई अनुबंध पुरा नहीं होता अथवा बचन का पालन नहीं किया जाता तो प्रत्येक स्थिति में आपराधिक छल का मामला नहीं बनता जब तक कि प्रारंभिक कपटपूर्ण मंसा सिद्ध न हो। यहां तो यह स्पष्ट है कि अभियुक्त चतुर्भूज चौबे ने स्ंवय ही परिवादी को बसने के लिये अपनी जमीन दी थी। इस संबंध में अभियुक्त ने परिवादी के पक्ष में न तो कोई दस्तावेज बनाया था और न ही पैसे लेन देन का कोई कागज न्यायालय में प्रस्तुत है जिस पर उभय पक्षों का हस्ताक्षर हो। इस वाद में सभी साक्षियों का साक्ष्य विरोधाभाषी है तथा एक दूसरे से मेल नहीं खाती है, जबकि परिवादी एवं साक्षी संख्या 5 का पूर्ण प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ है, जिससे उनके साक्ष्य का मूल्यांकन किया जा सके कि उनके साक्ष्य में कितनी स्पष्टता है, फिर भी अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य से धारा 420 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के विचारण हेतु ससुंगत एवं ग्रहण योग्य नहीं है।

11. एक अत्यंत अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कथित रूप से जिस व्यक्ति ने 3.5 लाख रूपया प्राप्त किया था, विचारण के दौरान उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, और अब अन्य सह अभियुक्त आनंद शंकर चौबे विचारण का सामना कर रहा है। जिसके बारे में परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र या साक्ष्य के रूप में कहीं नहीं कहा गया है कि परिवादी द्वारा पैसा अन्य सह अभियुक्त आनंद शंकर चौबे को भी दिया गया है।

ऐसी परिस्थिति में विधि का यह स्पष्ट नियम है कि आपराधिक दायित्व को स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता है। आपराधिक दायित्व उसी व्यक्ति द्वारा भुगता जाएगा जिसने वह कथित रूप से यह आपराधिक कृत्य किया है, तो परिवादी के परिवाद पत्र एवं साक्ष्यों के साक्ष्य को यदि तर्क के रूप में सही मानी जाए तो भी जिस व्यक्ति के द्वारा आपराधिक कृत्य करने की बात कही गई है वह मर चुके है और विचारण का सामना नहीं कर रहे है

तो जो अभियुक्त आनंद शंकर चौबे, सह–अभियुक्त के रूप में विचारण का सामना कर रहे है उसके विरूद्ध कोई भी आपराधिक दायित्व उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि उनके उपर कोई भी आरोप नहीं लगा है कि उनको पैसा दिय गया था। चूंकि प्रलोभन देकर छल करने के आरोप की बात कही गई है वह इस अभियुक्त आनंद शंकर चौबे को लेकर नहीं कही गई है, इस लिए इनके विरूद्ध किसी भी प्रकार के आपराधिक दायित्व का निरूपण नहीं होता है। इसलिए यह भा0द0वि0 की धारा 406, जिसका विवेचन उपर किया जा चुका है एवं धारा 420 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप का कोई भी तथ्य इनके विरूद्ध सिद्ध नहीं हो सका। विचारण के दौरान यह तथ्य भी सामने आया है कि इसके लिए दिवानी मामला जो सब जज अष्टम के न्यायालय में स्वत्व वाद संख्या 330/2009 लम्बित है, चूंकि इस न्या0 में धारा 406,420/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप का मामला विचारण में था इसलिए इस न्यायालय का मंतव्य केवल भा0द0वि0 की धारा 406, 420/34 के अन्तर्गत अपराध के विचारण के संदर्भ में ही होगा।

12. उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं विवेचन के आधार पर मैं यह पाती हूं एवं तद्नुसार धारित करती हूं कि परिवादी द्वारा प्रस्तुत इस परिवाद में सभी साक्षियों ने सह अभियुक्त आनंद शंकर चौबे को लेकर कोई साक्ष्य नहीं दिया है। इस लिए इनके विरूद्ध किसी भी प्रकार के आपराधिक दायित्व का निरूपण नहीं होता है। सभी साक्षियों के साक्ष्य को यदि तर्क के रूप में सही मानी जाए तो भी जिस व्यक्ति के द्वारा आपराधिक कृत्य करने की बात कही गई है वह मर चुके है। अभियुक्त आनंद शंकर चौबे, सह–अभियुक्त के रूप में विचारण का सामना कर रहे है उसके विरूद्ध कोई भी आपराधिक दायित्व उत्पन्न नहीं होता है

13. इसलिए उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप यहः–

In the Court of Ankita Raj, SDJM,
Mohania, Kaimur
Date of judgment :-10.07.2026
Complaint Case no. 121/2010
Reg No. 260/2022

आदेश

14. अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामाग्रियों एवं विद्वान अधिवक्ता के अभिकथनों से यह स्पष्ट है कि परिवादी वर्तमान वाद में अभियुक्तगण के विरूद्ध सभी आरोपों को युक्ति–युक्त संदेह से परे सिद्ध करने में पूर्णतः असफल रहा है। उपरोक्त नामित को साक्ष्य के अभाव एवं संदेह के आधार पर भारतीय दण्ड संहिता की धाराएॅं– **406, 420/34** के आरोप से प्रर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण अभियुक्तगण अभियुक्तगण 1. चतुर्भूज चौबे (मृत) एवं 2. आनंद शंकर चौब को सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है तथा सभी जमानतदारों को उनके बंधपत्र के दायित्वों से भी उन्मुक्त किया जाता है।

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में प्रविष्ट करायें।

निर्णय खुले न्यायालय में आज सुनाया गया।

(लेखापित एवं संशोधित)

ह0/–
(अंकिता राज)
अनमंडलीय न्यायिक दण्डाधिकारी,
मोहनिया,कैमूर
दिनांक–10.07.2026

ह0/–
(अंकिता राज)
अनमंडलीय न्यायिक दण्डाधिकारी,
मोहनिया,कैमूर
दिनांक– 10.07.2026

निर्णय आज दिनांक 10.07.2026 को मेरे द्वारा लिखित, शुद्धिकृत, हस्ताक्षरित, दिनांकित, मुद्रांकित एवं खुले न्यायालय में उद्घोषित किया जाता है।

ह0/–
(अंकिता राज)
अनमंडलीय न्यायिक दण्डाधिकारी,
मोहनिया,कैमूर
दिनांक– 10.07.2026